(11)

माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

636/02-1-19

प्र.क्र. /2018 निगरानी   निगरानी-0196/2019/देवास/भू०रा०

आत्माराम पिता रामसिंह आयु 52 वर्ष लगभग धंधा कृषि, निवासी रंधनखेड़ी तह. व जिला देवास म.प्र. -- आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला देवास -- अनावेदक

अभिभाषक श्री उपेन्द्र कानूनगो
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 2/1/19
02.01.19
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 566/2017-18 अपील पारित आदेश दिनांक 29-11-2018 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नानुसार निगरानी सादर प्रस्तुत है –

प्रकरण के तथ्य

यह कि आवेदक द्वारा एक अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसका प्रकरण क्रमांक 566/2017-18 अपील पर दर्ज होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29-11-2018 को निरस्त कर दी गयी। उक्त अपील न्यायालय कलेक्टर जिला देवास के प्रकरण क्र. 25/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-08-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला देवास के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष याचिका प्रस्तुत की उक्त याचिका में दिये गये निर्देशों के आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त संभाग उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो कि

XXIX(a)-BR(H)-11

(28)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-0196/2019/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/08/2019	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 29.11.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	